

Government of Bihar
Department of Planning and Development.

Resolution

Subject: Kosi Calamity: Rehabilitation and Reconstruction Policy

1. Kosi is a tributary of river Ganga which flows from Nepal to Bihar, its catchment area is approximately 69,300 square k.m. in Nepal. It traverses from the west of the Kanchanjanga Hills of Nepal to Bhimnagar and enters the plains of Bihar. It is a perennial river which had discharged 9.13 cusec water in the year 1968. The flow of river contains heavy siltation, resulting in changing the course, during previous centuries, in between Purnia district in the east and Darbhanga and Mandubani districts in the west. Owing to this, it becomes the cause of devastation in the whole of the north Bihar. Ultimately in 1955 a decision was taken to construct a barrage over it to regulate Kosi, which was completed in 1963. Due to the flow of silt very year in the river Kosi, the bed level of the river has become higher than the level of land outside the embankment.

2. This year on 18th August, 2008 a breach occurred in the embankment at 12th km. from Kosi barrage. Widening the breach, the river started flowing in a new course. At that time, the discharge of water was 1.66 lakh cusec in the new course as against only 25,744 cusec in the usual course. In this new course, the breadth of the river was 15 to 20 km and length was 150 km from north to south. The damage started occurring in approximately 3,000 sq km area due to this new course of the river. Houses, schools, roads, hospitals all were damaged due to the flow of the river. The total population of 33,45,545 living in 993 villages of 412 panchayats of 35 blocks of 5 districts was affected. A total of 3,40,742 houses were damaged and 7,12,140 animals were affected. A total of 239 humans and 1,232 animals lives were lost.

3. The rescue and relief work was immediately started by the State government. The action was taken in a planned manner for the establishment of relief camps, carrying relief materials to remote areas by helicopter, making the boats available in large numbers, providing the health facilities in the affected areas and in the camps, etc. Various Non-Governmental Organisations have praised the Government for executing the relief works on such a large scale.

4. Although helping hands were extended by the Central Government, the private sector and the NGOs to the State Government and the relief camps are still running, even though, when people return to home after this calamity, then the State government will have to help the affected population for the long term rehabilitation. The people of that area, who exhibited their courage, resilience and the capability to face the difficult situation, will have to be assisted in their pursuit of starting a better life.

5. A sudden responsibility has fallen on the State government owing to this calamity and showing proper sensitivity, the State Government has also prepared a plan as per the requirements of the rehabilitation. Rehabilitation and Reconstruction plan has to be implemented with the contributions from own resources, assistance of the Central government and that of the private sector and NGOs and of course with the people's participation. Starting a new life, out of this catastrophe will instil a good feeling amongst the people.

6. **Purpose-** Kosi Rehabilitation and Reconstruction Project is a comprehensive multi sectoral Project, whose main purpose is to reconstruct the houses, to provide community facilities, complete restoration of infrastructure, livelihood support based on the policy of sustained economy and environment, etc. for the people affected by the calamity.

The main objective of this project shall be

- (a) Treating it not merely as a calamity but an opportunity to be utilised in building a strong social and economic environment.
- (b) To undertake social and economic activities for rehabilitation and reconstruction of public/private assets of the affected areas.
- (c) Building, retro fitting, repairing and reconstruction of houses for the people and public buildings affected by natural calamities through appropriate technology in accordance with policies of the State government.
- (d) Reviving the local economy by providing assistance for agriculture, fisheries, dairy, industries, small business and handicrafts and restores livelihoods of the people.
- (e) Re-building and upgrading the community and social infrastructure, improve education and health system and empowerment of women and weaker sections of the population.
- (f) Formulation of quality standards and guidelines for infrastructures in affected areas.

- (g) Providing helpline to support the people affected by the natural calamity on long term basis and provides psychological counselling.
- (h) Restoring lifeline infrastructure, road network and utility infrastructure like power, water supply in the affected area.
- (i) Supporting gender empowerment through involvement of women in programme implementation.
- (j) Supporting the integrated nutrition and education for children.
- (k) Reducing vulnerability through long term mitigation programme.
- (l) Developing programmes involving people & representatives of institutions reflecting the aspiration of the community and also encourages participation of private sector, NGOs & other institutions.

7. **Guiding principles-** The main objective of Rehabilitation and Reconstruction Project, going beyond the priorities of immediate reconstruction, is more centred on the economic and social aspects such as social development and empowerment. Following principles shall be kept in view during implementation:

- Affected people and concerned institutions like Panchayati Raj Institutions and urban local bodies will be included in this new process, and outline of schemes will be prepared according to their needs and priorities.
- Implementation system based on co-operation and participation shall be made responsible to strengthen the women groups, non-governmental agencies and Panchayati Raj Institution. Along with this, the poor section shall be benefited from fairness and empowerment.
- Making the beneficiaries aware of the new earthquake resistant technology and new means and process of construction, facilities for construction shall be provided to them as per their requirements.
- Private Institutions, NGOs and expert Institutions shall be encouraged to participate in the implementation of Rehabilitation and Reconstruction programme.
- For transparency and responsibility in implementation, a process shall be institutionalised.

8. There shall be following components of the Project Programme

- (a) Housing

- (b) Removal of debris and salvage
- (c) Construction of temporary shelter
- (d) Construction of permanent houses
- (e) Repair and reconstruction of public buildings and staff quarters
- (f) Generation of livelihood programmes
- (g) Infrastructure – physical as well as social
- (h) Social and community development
- (i) Reconstruction of hospitals/PHCs and Health Sub Centres
- (j) Re-construction of Anganwadi centres and ICDS godowns
- (k) Reconstruction and repair of Primary and Secondary schools
- (l) Repair and reconstruction of Institutions of Higher and Technical Education
- (m) Reconstruction of public and private monuments and heritage centres
- (n) Panchayat Bhawan, high rise Shelters

9. The following points shall be ensured while implementing.

- (a) Quality norms
- (b) Involvement of urban local bodies and panchayati raj institutions
- (c) Women's Empowerment.
- (d) Social Participation and Provision for social audit.
- (e) Hazard-resistant technology
- (f) Institutional arrangement for monitoring the progress of implementation.

9. **Social Participation**

(i) Social participation is the process of strengthening in the Rehabilitation Programme through which society shall have the opportunity of Rehabilitation and

Reconstruction as per its own wishes and priority. From the view points of fairness and responsibility, with the social participation, the social and economic benefit of the programmes shall be available to the weaker sections according to their entitlements. Implementing agencies could also be made more responsible for improvement in quality of execution through social participation.

(ii) Adopting the process of implementation of the programmes with social consultation, the suggestions of all the sections of society would be available for the programme of Rehabilitation and Reconstruction and the beneficiaries shall have the feeling of ownership and satisfaction. Therefore, institutional arrangement is needed for social participation.

(iii) **Objective**

(a) To ensure the participation of all the sections of society and all the implementing agencies in the process of preparation of plan, formulation of policy and implementation of programmes.

(b) In the preparation of the draft for the rehabilitation plan at village level, total opportunity should be available to all the members of society for the participation in the process of consultation and the project should of housing and economic and social rehabilitation reflect their priority.

(c) Rehabilitation Plan should be according to the needs and entitlements of the people, local conditions and life style.

(d) There is the need for interaction of all groups of people with government and non-governmental institutions so that; we get the benefit of people's knowledge and expert opinion.

(e) In the whole project area, the level and quality of social participation should be the same and of the high order.

10. **Participation of Private Sector and Non-governmental Sector**

(i) Since the economic development process has been adversely affected due to calamity, it becomes the responsibility of private and non-governmental sectors that, along with the government effort, they should take part in reconstruction and rehabilitation programme. In democratic society, each of three stakeholders - government, market and the civil society have their own strengths and limitations. There is a scant possibility of success,

if these three organisations operate independently. On the other hand if they act in tandem, not only the possibility of success will increase, but they shall prove to be more affective.

(ii) **Objective**

The private sector may supplement the government in its effort in the following ways:-

- (1) To assist in construction of social and economic infrastructure for successfully tackling the calamity in future.
- (2) Implementation of Projects for ensuring effective response in calamity by dovetailing the development process with disaster management.

(iii) **Programme Area**

1. To reduce and eradicate the hazards
2. To be prepared to tackle calamity.
3. Immediate response for rescue and relief

(iv) **Reconstruction Programme**

1. Training and capacity building
2. Research and documentation
3. Implementation of show-piece projects
4. Support campaign for policies
5. Assistance in design and construction to lessen or eradicate the impact of calamity.
6. Assistance in building code and Standard code
7. Land utilization plan
8. Hazard Control

(v) **Shortcomings in training and capacity building**

(a) Assistance may be extended to all institutions on the basis of their core competency in the private sector for the following:-

1. Personnel
2. Materials
3. Technology
4. Management
5. Finance

(b) For this, the opportunity shall be given to establish the coordination at district level and for policy matter interaction networking with State government. Preparation of

project and its implementation by private institutions may be done independently or in combination.

(c) The beneficiaries may be assisted to have technical assistance or technical information to prepare in a better manner to face the disaster. The private sector and NGOs may make substantial contribution for the preparation of research and documentation, arrangement of think tank, comprehensive action plan, etc., to lessen the effect of calamity.

(d) Reconstruction of public assets shall be done by the government itself, but the private sector and NGOs may give their assistance in the construction of new community assets like- community hall, high rise evacuation centres, panchayat bhawans, establishment of internal communication and other common facilities at village level. If any private sector institution or NGOs wants to undertake all infrastructures, construction of residential houses etc., on the basis of floods and designs resistant to earthquake for the whole village or habitation, they may be allotted the land by the district administration. For this purpose, the list of beneficiaries shall be made available by the district administration. The inspection and monitoring of the execution by the private sector and the NGOs may be done by the monitoring committee constituted at the district level.

11. Financing-The total of 14,808.59 crore rupees has been estimated for Kosi rehabilitation and reconstruction project. Other than calamity relief fund, the components of this project may be executed under various central sector schemes and state plan. The action may be taken to arrange the multilateral funding for the balance. In addition some components of the programmes may be executed with the assistance of private sector and NGOs.

12. Implementation strategy-Implementation strategy shall be formulated by the government as per the above mentioned guiding principles. Safety measures of earthquake and keeping in view the need for immediate reconstruction, social participation may also be included in this strategy. The following are the main components of this project.

1. Assessment of damage –A comprehensive assessment of damage to buildings, public assets and infrastructure due to Kosi calamity shall be done by the government. On the basis of this, the assessment of the need of the rehabilitation and the adoption of engineering and construction strategy shall be finalised. At the village level rehabilitation and reconstruction

plan shall be prepared after the assessment by separate teams. In this process, apart from government servants, NGOs shall also be included.

2. Public Private Partnership– Keeping in view the challenges of quick reconstruction, the government considers the necessity of engaging the important institutions of civil society in the preparation and implementation of reconstruction plan on the basis of trust, reciprocity and mutuality. For this purpose, necessary guidelines shall be issued.

3. Reconstruction of private houses-The policy of build better shall be adopted keeping in view the characteristics of the Kosi area. Reconstruction of private houses shall be beneficiary driven. Land shall be acquired to settle the families of SC and ST having no homestead land. The size of the programmes for social and mental development shall depend on the status of local knowledge and capacity. The arrangements shall also be made for skill development.

4. Technique of social participation system- Government considers the need of the participation of society for reconstruction in rural and urban areas with both in formal and informal manner. For this, necessary encouragement shall be given according to defined structure and execution shall be ensured with responsibility and honesty.

5. Propagation of rehabilitation and reconstruction programme-Wide publicity shall be arranged by the government about the entitlements and various types of assistance. The co-operation of the society is especially important for adoption of the technique of fire fighting and for active participation in rehabilitation plan. Therefore, elected members at different levels, media, and academia shall be engaged in all the programmes of publicity by the government.

6. Social development and women empowerment-The social and community development in rehabilitation and reconstruction programme is considered very important by the government. For this the empowerment and participation of women are absolutely essential.

7. Assistance for House Construction- The government shall prepare a comprehensive programme for all sections of people affected by Kosi calamity for reconstruction of houses according to newly developed earthquake resistant technique and calamity resistant design and shall announce the relief package/packages.

8. Material Bank- Since more than three lakh private houses, public assets and other infrastructure are to be reconstructed, there shall be requirement of massive quantity of cement, iron, bricks and other construction materials. The government shall ensure that at Panchayat level, these materials are available and a situation of exploitation and profiteering

at local level does not arise. To make available the skilled labours in large number, they have to be identified and trained for their skill development.

9. The protection of women's right – The registration of houses constructed with the help of government, shall be ensured in the joint name of husband and wife. In the case of widows the facility concerning house shall be given directly to them, and not to the other male members of the family.

10. Urban area rehabilitation- In urban areas, the reconstruction shall be planned along with the community facilities, keeping in view the protection of the interests of the beneficiaries and the principle “build better”. The assistance of the local bodies shall be taken in the matter of site selection, inspection, monitoring, etc. for the execution of the schemes. In the case of private houses the system adopted in rural areas i.e. beneficiaries-driven construction, shall be followed. In the same manner, the arrangement shall be made for framing guidelines and technical supervision etc. for ensuring quality of materials.

11. Calamity-resistant construction technique- It has been decided by the government that all the private and public houses shall be reconstructed on the basis of earthquake-resistant design and from the point of view to fight the floods situation in a better manner, in the future. For this, institutional arrangements shall be done for promoting the use of calamity-resistant techniques, necessary technical training, retrofitting, publicity of new construction techniques and the arrangement of material. Inspections necessary for ensuring quality of construction shall be arranged from time to time.

12. Measures for revival of livelihood

i) The main purpose of rehabilitation programme is revival of the livelihood of the people affected by the calamity. Various kinds of economic programmes shall be launched by the State government, so that masons, entrepreneurs and self employed people get the maximum benefit. The maximum support shall be given for the revitalization of Dairy, Handicraft, Handloom and Small Industries. For this purpose, provision for working capital and the arrangement of other facilities and loan from the financial institutions shall be made.

ii) To re-start livelihood, finance shall be obtained from the government of India and multilateral funding agencies. The active co-operation of commercial banks is also vital for the execution of the plan. The training for skill development of masons and self help groups shall be arranged. The self help groups shall be organised and they shall be engaged in the work of house construction; they will also be covered under Swarn Jyanti Gram Swa Rojgar Yojna for the benefit of developing livelihood.

iii) Short term Assistance- Arrangement s will be made through financial institutions for the consumption loan, conversion of the existing loans of those affected by the calamity and assistance to weavers and artisans for the materials and the work shed.

iv) Long term Plan- A comprehensive plan shall be prepared for the formation of co-operative societies and self help groups in dairy sector, construction of chilling centres, and arrangement of dairy processing, establishment of handloom and Handicraft Park for weavers and artisans and the arrangement of marketing.

13. Revitalization programmes in agriculture sector- In Kosi calamity affected areas, the activities of silt removal, input subsidy; arrangement of shielding etc shall immediately be carried out. For the agricultural development of the Kosi area, national level institutions such as ICAR shall be encouraged for study and preparation of development plan as a long term strategy. At the regional level agriculture collage situated at Saharsa shall be strengthened. Keeping in the view the potential of fisheries in this area, a special plan shall be prepared for its development. The co-operative institutions attached with agriculture sector shall be strengthened.

14. Infrastructure- In calamity affected areas roads and bridges shall be repaired for immediate traffic. Construction of new roads, renovation and repair of irrigation canals shall be done following calamity-resistant techniques as per the plan of strengthening and revitalising. In rural areas repair and strengthening of approximately 2000 km roads and constructions of bridges shall be carried out afresh in coming 2-3 years. The plans for capacity building and upgradation of the departments shall be made for better and rapid execution and monitoring, by the technical departments in this area. BRRDA shall be strengthened so that the works of rural road construction go unhindered.

15. Energy- All sub-stations and public assets pertaining to energy sector shall be repaired and renovated by the government. As an intermediate measures all equipments, transmission lines and transformers shall be replaced, so that the system gets corrected and works successfully. All these works shall be completed in 3-4 years.

16. Public Buildings- All the offices and public buildings viz, schools and hospitals shall be repaired and retrofitting shall be done as per the needs, by the Government. The construction of panchayat bhawan, high rise shelters, cattle shelters etc., shall be carried out with the help of state plan/central plan/multilateral funding /private sector, in which calamity-resistant techniques shall be adopted.

17. Water Supply- The renovation work plan of water supply system in rural areas shall be taken up immediately so that people of that area could get healthy and pure water supply. As an intermediate measure, the water supply shall be arranged in urban areas and damaged public assets (like tube wells, motor pumps, etc.), shall be repaired. Water storage arrangement at rural level, arrangement of water supply network, establishment of pipe line system in urban and rural areas at a large scale, the arrangement of pumping and captive pumps water system shall be made in coming 2-3 years.

18. Social and Community Development-For reconstruction of services and social and community capital, the programmes of health, education and women development shall be executed in Kosi calamity affected area. The focus of all these programmes shall be on women and their empowerment and renovation of livelihood would be made more effective.

19. Health-The infrastructure services concerning health shall again be restarted. There would be the need of running continuous health services for most of the people affected by the calamity. Therefore, there would be the need for strengthening it. The arrangement for health and sanitation, management of education, community training etc., shall be done for the short span of time so that epidemic does not breakout. Better facilities shall be brought about in primary health centers, sub divisional and district hospitals so that the arrangement could be made according to the increasing number of the patients. It shall include the arrangement of intensive care unit at district hospitals, intensive care unit for new born, Nutritional rehabilitation centre and to provide the pathological and radiological tests facilities up to primary health centres, etc. Under the pulse polio and routine immunisation programme special round shall be conducted in flood affected areas. Along with this the de-worming shall also be carried out. Anganwadi centers shall further be strengthened and immunisation of pregnant mothers and new born babies and the arrangement of health training shall also be strengthened.

20. Education-The programme shall be started in calamity affected areas for making the educational intuitions functional again. Priority shall be given to repair and reconstruction of schools. The buildings of technical intuitions like I.T.I, Polytechnic, etc. shall be repaired and strengthened so that the programme of capacity development can also be executed from these centres.

21. Participation of Panchayti Raj Institutions-The cooperation of panchayti raj institutions in rehabilitation and reconstruction of damaged infrastructures in Kosi calamity areas shall be solicited. .

22. Women's empowerment-The main plank of rehabilitation plan shall be the empowerment of women through the activities of income generation, education and training. For handloom and other economic activities, special training for women shall be organised and supported by government. The plan on the formation of self helps groups and through them the organisation of thrift and credit etc. shall be implemented. The programme of social services and reconstruction of centres through anganbadi workers, social workers and also through the NGOs, Mahila Samakhya, women development corporation and others reputed non governmental organisations shall be implemented.

23. Institutional Arrangement for execution of projects

(a) Kosi Rehabilitation and Reconstruction High Level Committee

(i) The working plan prepared for the reconstruction and other policy decisions shall be approved by the Kosi Rehabilitation and Reconstruction High Level Committee constituted under the chairmanship of Chief Minister, in which following shall be the members, apart from the Deputy Chief Minister-cum-Finance Minister:-

Minister, Rural Development Department.

Minister, Agriculture Department.

Minister, Animal & Fish Resources Department.

Minister, PHED.

Minister, Urban Development Department.

Minister, Panchayti raj Department.

Minister, Industries Department.

Minister, Health Department.

Minister, Education Department.

Minister, Social Welfare Department.

Minister, SC & ST Welfare Department.

Minister, Backward and Most Backward classes' welfare Department.

Minister, Minority Welfare Department.

Minister, Road Construction Department.

Minister, Rural Works Department.

Minister, Planning & Development Department.

Minister, Disaster Management Department.

Minister, Water Resources Department

Chief Secretary, Bihar

Development Commissioner, Bihar

Principal Secretary, Finance Department

Principal Secretary, Disaster Management Department

(ii) Two experts, reputed in the field of technique, earthquake and construction

(iii) Members of Disaster Management Authority.

(iv) Principal Secretary/ Secretary of the departments concerned shall be invited members. Principal Secretary/ Secretary, Department of Planning & Development shall be the member-secretary of this Committee.

On the issue of policy decision and inter-departmental coordination, the directions for necessary plan modification on the basis of review and guidelines may be given by the above referred committee.

(b) Plan Formulation and Resources-The Plan shall be formulated by the Department of Planning and Development under the guidance of Development Commissioner. Department shall assess the availability of funds from different sources for Rehabilitation and Reconstruction Plan in a Financial Year and against the available resources formulate the plans for various sectors and obtain the approval of high level committee on that.

(c) Kosi Rehabilitation and Reconstruction Plan Empowered Committee-All the schemes under the plans for Kosi Rehabilitation and Reconstruction shall require the approval by the newly constituted empowered committee. Principal Secretary, Department of Finance/ Additional Finance Commissioner, Principal Secretary/ Secretary, Department of Disaster Management and Principal Secretary/Secretary, Department of Planning & Development and Principal Secretary/ Secretary of the department concerned shall be the members of the above committee. The experts could be invited to help the committee constituted under the Chairmanship of Development Commissioner.

After the recommendation of empowered committee the sanction order shall be issued by the department as per the existing procedure and delegated power. For the approval of the schemes related to Kosi Rehabilitation and Reconstruction, the delegation of power to the department shall be considered modified to that extent.

The schemes under the approved programmes can be executed by the department from its own budget provision or Chief Minister Relief Fund or the funds obtained from Bihar Foundation. From the Funds for special schemes obtained from either Chief Minister Relief Fund or Bihar Foundation concerned, departments, as executing agencies, would be able to execute the schemes. The execution of schemes shall be carried out through the existing arrangement of the department concerned.

Monthly monitoring of the schemes shall be done by the empowered committee constituted and referred above.

(d) Under the Chairmanship of Minister in charge, the district monitoring committee shall be constituted at district level in which local MPs, MLAs, MLCs, representatives of the recognised political parties, Zila Prishad Chairman, Chairman of the district level local urban body and district level officers of executing departments and Deputy Development Commissioner shall be the members. District Magistrate shall be the convenor of this committee.

By the order of Governor

(Rameshwar Singh)

Principal Secretary

Memo No: Yo5/misc.-08/08 3720-/PD,Patna, Dated 19.11.08

Copy to: Secretary to Chief Minister and Personal Secretary to Minister, Rural Development / Public Health Engineering / Urban Development / Panchayati Raj / Industry / Health / Education/Social Welfare / Backward and Most Backward Welfare / Road Construction / Rural Works / Planning and Development / Disaster Management / Agriculture / Animal and Fisheries Resources / SC and ST Welfare / Minority Welfare for information and necessary action.

Principal Secretary

Memo No: Yo5/misc.-08/08 3720-/PD,Patna, Dated 19.11.08

Copy to: Chief Secretary, Bihar, Patna / Development Commissioner, Bihar, Patna / Principal Secretary/Secretary of all Departments, for information and necessary action.

Principal Secretary

Memo No: Yo5/misc.-08/08- 3720 - /PD,Patna, Dated 19.11.08

Copy to: Divisional Commissioner, Kosi / Purnia / District Magistrate, Madhepura, Saharsa, Supaul, Araria, Purnia / Deputy Development Commissioner, Madhepura, Saharsa, Supaul, Araria, Purnia for information and necessary action. District Magistrates are requested to make a copy of this resolution available to MP / MLA / MLC / Chairman Zila Parisad / Nagar Parisad of the District.

Principal Secretary

कोसी आपदा: पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण नीति

1- कोसी नेपाल एवं भारत के बीच बहनेवाली, गंगा की उप नदी है, जिसका आवाह (जलग्रहण) क्षेत्र करीब 69300 वर्ग किलोमीटर नेपाल में है । यह कंचनजंगा की पश्चिम की ओर से नेपाल की पहाड़ियों से उतर कर भीमनगर होते हुए बिहार के मैदानी इलाके में प्रवेश करती है । यह एक बारहमासी नदी है जिसने वर्ष 1968 में 9.13 क्यूसेक पानी छोड़ा था । नदी के बहाव में अधिक गाद होती है जिसकी वजह से गत शतकों में पूर्वी दिशा में पूर्णिया जिला से पश्चिमी दिशा में मधुबनी एवं दरभंगा के बीच अपना मार्ग बदलती रही है । इस वजह से पूरे उत्तर बिहार में तबाही का कारण बनी । अंततोगत्वा 1955 में कोसी को नियंत्रित करने के लिए बांध के निर्माण का निर्णय लिया गया जो वर्ष 1963 में पूर्ण हुआ । प्रत्येक वर्ष कोसी नदी में बह रही गाद के कारण नदी के तट का स्तर बांध के बाहर की जमीन से ऊपर हो गया है।

2- इस वर्ष कोसी बराज के ऊपर 12 कि०मीटर दूरी पर 18 अगस्त 2008 को पूर्वी बांध में दरार हुआ । नदी, बांध की दरार को और तोड़ती हुई नये मार्ग में बहने लगी । उस वक्त पानी का डिसचार्ज 1.66 लाख क्यूसेक था और पुराने मार्ग पर मात्र 25744 क्यूसेक पानी रहा। इस नये मार्ग में नदी की चौड़ाई 15 से 20 कि०मी० और लंबाई 150 कि०मी० उत्तर से दक्षिण तक की थी ।

इस नये प्रवाह में करीब 3000 वर्ग कि०मी० क्षेत्र का सर्वनाश होने लगा । आवास, विद्यालय, सड़क, चिकित्सालय सभी नदी के प्रवाह से क्षतिग्रस्त हुए । 5 जिलों के 35 प्रखंडों के 412 पंचायतों, जिनमें 993 गाँव सन्निहित हैं, में कुल 33,45,545 की आबादी प्रभावित हुई । कुल 3,40,742 मकानों की क्षति हुई और 7,12,140 पशु भी प्रभावित हुए। कुल 239 व्यक्तियों की तथा 1232 पशुओं की मृत्यु हुई ।

3- राज्य सरकार द्वारा तुरंत बचाव एवं राहत कार्य किया गया। साहाय्य शिविरों की स्थापना, सुदूर इलाकों में हेलिकॉप्टर से साहाय्य सामग्रियों को पहुँचाना, अधिक से अधिक संख्या में नावों को उपलब्ध कराना, शिविरों एवं प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना इत्यादि कार्रवाई एक योजनाबद्ध तरीके से की गयी । विभिन्न गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा इतने वृहत स्तर के साहाय्य कार्यों के लिए सरकार की सराहना की गयी ।

4- यद्यपि केन्द्र सरकार, निजी क्षेत्र के लोगों एवं गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा राज्य सरकार की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया गया और साहाय्य शिविर अभी भी चल रहे हैं, फिर भी इस आपदा से जब लोग निकलकर अपने घर वापस लौटेंगे, तब राज्य सरकार को प्रभावित आबादी को, दीर्घकालीन पुनर्वास के आधार पर, सहायता प्रदान करनी होगी। इस आपदा से सामना करने में उस क्षेत्र के लोगों द्वारा साहस एवं रिसिलियेंस, कठिन परिस्थितियों का सामना करने की

क्षमता दिखायी गयी; उन्हें नये सिरे से अपना जीवन बेहतर ढंग से प्रारंभ करने के लिए सहायता प्रदान करनी होगी ।

5- राज्य सरकार पर एक अप्रत्याशित उत्तरदायित्व इस आपदा से आ गया है और सरकार ने भी, अति संवेदनशीलता दर्शाते हुए, पुनर्वास की आवश्यकता के अनुरूप योजना तैयार कर ली है । अपने साधन स्रोत, केन्द्र सरकार की सहायता एवं निजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी संस्थाओं के योगदान से पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना को, लोगों की सहभागिता से, कार्यान्वित किया जाना है । इस महाविपदा से उठकर एक नया जीवन प्रारंभ करने से लोगों में सद्भावना स्थापित होगी ।

6- उद्देश्य-

कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण परियोजना एक व्यापक बहु-प्रक्षेत्रीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य आपदा से प्रभावित लोगों के मकान का पुनर्निर्माण, सामुदायिक सुविधा, आधारभूत संरचनाओं की पूर्ण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं पारिस्थितिकी को कायम रखने की नीति पर आधारित जीविका समर्थन आदि तैयार किया जाना, इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य होंगे -

(क) इसे मात्र विपत्ति नहीं, बल्कि एक नए मजबूत सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश बनाने के अवसर के रूप में उपयोग करना

- (ख) प्रभावित क्षेत्रों की सार्वजनिक/निजी परिसम्पतियों का पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास के लिए आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप करना;
- (ग) राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार उपयुक्त प्रावैधिकी के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के घरों तथा सार्वजनिक भवनों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण करना जिसमें भवन निर्माण तथा रेट्रो फिटिंग शामिल है ।
- (घ) कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, लघु उद्योग तथा हस्तकरघा में सहायता देकर स्थानीय अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीवित करना तथा लोगों की आजीविका को पुनः बहाल करना ।
- (ङ) सामुदायिक तथा सामाजिक आधारभूत संरचना का उन्नयन तथा पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा तंत्र में सुधार तथा समाज के कमजोर वर्ग तथा महिलाओं का सशक्तीकरण,
- (च) प्रभावित क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए गुणवत्ता पूर्ण मानदंड एवं मार्गदर्शन निर्धारित करना;
- (छ) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के सहायतार्थ दीर्घकालीन आधार पर हेल्पलाइन मुहैया करना तथा मनोवैज्ञानिक सलाह देना ।

- (ज) प्रभावित क्षेत्रों में जीवनदायी आधारभूत संरचना, सड़क नेटवर्क तथा जलापूर्ति, उर्जा जैसी उपयोगी आधारभूत संरचना का पुनर्स्थापन ।
- (झ) महिलाओं को कार्यक्रम कार्यान्वयन में शामिल कर उनके सशक्तीकरण का समर्थन करना ।
- (ञ) बच्चों के लिए एकीकृत पोषण तथा शिक्षा की व्यवस्था करना ।
- (ट) दीर्घकालीन उपशमन कार्यक्रमों द्वारा भल्नरेबिलिटी को कम करना ।
- (ठ) लोगों तथा वैसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, जिनमें लोगों की आकांक्षाएँ प्रतिबिम्बित हों, को शामिल करते हुए कार्यक्रमों को विकसित करना तथा स्वैच्छिक संस्थाओं, निजी क्षेत्र तथा अन्य संस्थाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना ।

7- मार्गदर्शक सिद्धांत-

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण परियोजना का मुख्य उद्देश्य, तुरंत पुनर्निर्माण की प्राथमिकताओं से भी बढ़कर आर्थिक एवं सामाजिक बिन्दुओं जैसे- सामाजिक विकास एवं सशक्तिकरण पर भी केन्द्रित हो। कार्यान्वयन में निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जायगा :

- नयी प्रक्रिया में, प्रभावित लोगों एवं संबंधित संस्थाओं जैसे पंचायती राज संस्थाएँ, तथा नगर निकायों को सम्मिलित किया जायगा और उनकी प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं के आधार पर योजनाओं की रूप-रेखा तैयार की जायगी ।
- साझेदारी एवं सहभागिता पर आधारित कार्यान्वयन पद्धति से महिला समूहों, गैर सरकारी संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थानों के सुदृढीकरण के साथ-साथ निष्पक्षता एवं सशक्तीकरण के आधार पर गरीब तबके के लोगों को भी परियोजना से लाभान्वित कराया जा सके ।
- नयी भूकम्परोधी तकनीकी, नये निर्माण साधनों एवं प्रक्रियाओं से लाभान्वितों को अवगत कराते हुए उनके आवश्यकतानुसार निर्माण करने की सुविधा प्रदान की जा सके।
- पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास कार्यक्रम को निजी क्षेत्रों की संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं एवं विशेषज्ञ संस्थाओं को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भागदारी के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा ।
- कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व हो, इस हेतु संस्थागत संरचना में प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी ।

8- परियोजना कार्यक्रम के निम्नांकित घटक होंगे -

(क) आवास निर्माण

- (ख) अवशिष्ट को हटाना तथा उबारना
- (ग) अस्थाई शरणस्थली का निर्माण
- (घ) स्थाई घरों का निर्माण
- (ङ.) स्टाफ क्वार्टर तथा सामुदायिक भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण
- (च) आजीविका कार्यक्रमों का सृजन
- (छ) आधारभूत संरचना - भौतिक तथा सामाजिक
- (ज) सामाजिक तथा सामुदायिक विकास
- (झ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उप केन्द्र/अस्पताल का पुनर्निर्माण
- (ञ) आई.सी.डी.एस. गोदाम/आंगनबाड़ी केन्द्रों का पुनर्निर्माण
- (ट) प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण
- (ठ) उच्च तथा तकनीकी संस्थाओं की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण
- (ड) सार्वजनिक तथा निजी स्मारकों तथा विरासत केन्द्रों का पुनर्निर्माण
- (ढ) पंचायत भवन, उच्चकृत शरणस्थली
- कार्यक्रमों में निम्नांकित बिन्दुओं को सुनिश्चित किया जायगा ।
- (क) गुणवत्ता मापदण्ड

- (ख) पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की भागीदारी
- (ग) महिला सशक्तीकरण
- (घ) सामाजिक भागीदारी तथा सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान
- (ङ.) जोखिम प्रतिरोधक तकनीक
- (च) क्रियान्वयन की प्रगति के अनुश्रवण के लिए सांस्थिक व्यवस्था ।

9- सामाजिक भागीदारी-

i) सामाजिक भागीदारी, पुनर्वास कार्यक्रम में सशक्तिकरण की प्रक्रिया है जिससे समाज को अपनी इच्छा एवं प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण करने का अवसर मिलेगा । निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से समाज की भागीदारी से कार्यक्रमों का आर्थिक एवं सामाजिक लाभ कमजोर वर्गों को, उनके हक के अनुसार मिल सकेगा। समाज की भागीदारी से कार्यान्वयन एजेंसियों को भी कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकेगा।

ii) समाज के परामर्श से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया अपनाने से समाज के सभी वर्गों का परामर्श पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में प्राप्त हो सकेगा और पुनर्निर्मित सम्पत्तियों के स्वामित्व की भावना(ownership feeling), संतुष्टि एवं अच्छा

अनुभव, लाभान्वितों को प्राप्त हो सकेगा । अतः सामाजिक भागीदारी के लिए एक संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता है।

iii) उद्देश्य

(क) सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को, योजना की तैयारी में, नीति के सूत्रीकरण में, और परियोजना के कार्यान्वयन में, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना ।

(ख) ग्राम स्तर पर पुनर्वास योजना की रूपरेखा की तैयारी में समाज के सभी सदस्यों को परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए और उनके भवन एवं सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास प्रस्ताव को उनकी प्राथमिकता के अनुसार परियोजना को अंतिम रूप देना चाहिए ।

(ग) स्थानीय स्थिति एवं जीवन पद्धति के अनुरूप तथा आवश्यकता एवं हक के अनुरूप पुनर्वास योजना होनी चाहिए ।

(घ) सभी समूहों को सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ विचारों के आदान-प्रदान (interact) करने की आवश्यकता है ताकि अच्छी प्रोफेशनल निपुणता एवं जानकारी का लाभ उठाने का अवसर मिले ।

(ड.) समाज की भागीदारी के स्तर एवं गुणवत्ता, पूरे परियोजना क्षेत्र में एक ही प्रकार की एवं उच्च स्तर की होनी चाहिए

10- निजी क्षेत्र एवं गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी -

i) चूँकि आपदा के कारण आर्थिक विकास प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, अतः निजी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं का भी सामूहिक तौर पर उत्तरदायित्व बनता है कि सरकारी प्रयास के साथ वे भी निर्माण एवं पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लें । जनतांत्रिक समाज में, सरकार का तथा मार्केट एवं सिविल सोसायटी का अलग-अलग मजबूती एवं सीमा होती है । इन तीनों द्वारा अलग-अलग कार्यक्रमों का कार्यान्वयन होने पर कम सफलता प्राप्त होने की संभावना है लेकिन साथ मिलकर कार्यक्रम को संभालने से न केवल सफलता की संभावनाएँ बढ़ जाएँगी बल्कि अधिक कारगर भी सिद्ध होगा ।

ii) उद्देश्य-

निजी क्षेत्र द्वारा निम्नांकित उद्देश्यों के लिए सरकार के प्रयास के साथ, सहायता प्रदान की जा सकती है -

- 1- भविष्य में आपदाओं को सफलतापूर्वक सामना करने के लिए, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना निर्माण में, सहयोग प्रदान करना ।

- 2- आपदा के लिए प्रभावकारी ढंग से अनुक्रिया (Response) एवं विकास प्रक्रिया को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित कर परियोजनाओं का कार्यान्वयन ।

iii) कार्यक्रम क्षेत्र-

- 1- खतरा कम करने एवं और दूर करने
- 2- आपदा का सामना करने के लिए तैयार रहना
- 3- बचाव एवं साहाय्य के लिए तुरत अनुक्रिया (Response)

iv) पुनर्निर्माण कार्यक्रम -

- 1- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण
- 2- शोध एवं डाक्युमेन्टेशन
- 3- प्रदर्शनकारी परियोजनाओं का कार्यान्वयन
- 4- नीतियों के लिए समर्थन अभियान
- 5- आपदा को कम या दूर करने के लिए डिजाइन एवं निर्माण में सहायता ।
- 6- बिल्डिंग कोड एवं स्टैंडर्ड कोड में सहायता
- 7- भूमि उपयोग योजना
- 8- खतरा नियंत्रण (Hazard Control)

v) प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में कमियाँ -

समाज के सभी वर्गों, सिविल सोसायटी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण दिलाने में सहायता प्रदान की जा सकती

है । इस हेतु क्षति के आकलन, पुनर्निर्माण की योजना की तैयारी तथा तकनीकी एवं नेटवर्किंग के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है।

vi) अनुक्रिया (Response) एवं पुनर्निर्माण -

(क) निजी क्षेत्र में प्रत्येक संस्था को उनकी कोर (core) क्षमता के आधार पर निम्नांकितों के लिए सहायता प्रदान की जा सकेगी -

- 1- कर्मी 2- सामग्री 3- प्रावैधिकी
- 4- प्रबंधन एवं 5- वित्त

(ख) इस हेतु राज्य सरकार के साथ नीतिगत हस्तक्षेप के लिए नेटवर्किंग किये जाने एवं जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए अवसर प्रदान किया जायगा । परियोजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा अलग-अलग इकाई या सामूहिक तौर पर की जा सकेगी ।

(ग) आपदा प्रबंधन की तैयारी हेतु तकनीकी सूचना या तकनीकी सहायता प्रदान करने में भी लाभान्वितों को सहायता प्रदान की जा सकेगी । आपदा कम करने के लिए शोध का प्रबंध, Think tank की व्यवस्था, विस्तृत एक्शन प्लान की तैयारी इत्यादि में भी निजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान हो सकेगा ।

(घ) लोक संपत्तियों का पुनर्निर्माण सरकार द्वारा स्वयं किया जायगा लेकिन नए सिरे से सामाजिक सम्पत्तियों के निर्माण में निजी

क्षेत्र एवं गैर-सरकारी संस्थाएँ योगदान दे सकेंगी जैसे- सामुदायिक भवन, हाई राइज evacuation centres, पंचायत भवन इत्यादि के निर्माण, ग्राम स्तर पर आंतरिक आवागमन एवं सामूहिक सुविधाओं की स्थापना की तैयारी । अगर कोई निजी क्षेत्र की संस्था या गैर सरकारी संस्था पूरे गाँव या habitation से संबंधित सभी आधारभूत संरचना, आवासीय मकान आदि बाढ़ एवं भूकंप निरोधी डिजाइन के आधार पर निर्माण करने के लिए इच्छुक हों तो उन्हें संबंधित भूमि का आवंटन जिला प्रशासन द्वारा किया जा सकेगा । इसके लिए लाभार्थियों की सूची भी जिला प्रशासन द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी । निजी क्षेत्र एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यान्वयन का निरीक्षण एवं अनुश्रवण जिला स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाएगा ताकि विभिन्न स्रोतों से किए जा रहे कार्यों का डुप्लीकेशन नहीं हो ।

11- वित्त पोषण

कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए कुल 14808.59 करोड़ रुपये की आवश्यकता आँकी गई है । Calamity relief fund के अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य योजनाओं के अन्तर्गत इस परियोजना के घटकों को कार्यान्वित किया जा सकेगा । शेष आवश्यक राशि के संबंध में Multilateral funding की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की जायगी। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र एवं गैर-सरकारी

संस्थाओं के योगदान से कार्यक्रम के कुछ घटकों का कार्यान्वयन हो सकेगा ।

12- कार्यान्वयन रणनीति

ऊपर लिखित मार्गदर्शित सिद्धांतों के अनुरूप सरकार द्वारा कार्यान्वयन नीति तैयार की जायगी । पुनर्निर्माण के तुरत कार्यान्वयन की आवश्यकता के मद्देनजर, समाज की भागीदारी तथा भूकम्प से बचाने के रक्षा उपाय भी इस रणनीति में सम्मिलित किए जायेंगे। इसके मुख्य घटक निम्नांकित हैं -

(1) क्षति का आकलन - सरकार द्वारा कोसी आपदा से भवनों, लोक संपत्तियों एवं आधारभूत संरचनाओं की हुई क्षति का आकलन विस्तृत रूप से कराया जायगा । इस आधार पर पुनर्वास आवश्यकताओं का आकलन तथा इससे संबंधित इंजिनियरिंग एवं निर्माण रणनीति तैयार की जायगी । प्रत्येक गाँव स्तर का आकलन अलग-अलग टीम द्वारा कराकर ग्रामीण स्तर पर पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना तैयार की जायगी । इन कार्रवाई में सरकारी कर्मचारियों के अलावे गैर-सरकारी संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायगा ।

(2) पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप - कम समय में पुनर्निर्माण की चुनौती के कारण सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ trust and reciprocity एवं पारस्परिकता के आधार पर पुनर्निर्माण

योजना की तैयारी एवं कार्यान्वयन की आवश्यकता सरकार महसूस करती है । इस हेतु आवश्यक मार्गदर्शन भी निर्गत किया जायगा ।

(3) निजी मकानों के संबंध में पुनर्निर्माण - कोसी क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर “पूर्व से बेहतर निर्माण” की नीति अपनायी जायेगी । निजी मकानों का पुनर्निर्माण लाभार्थी प्रेरित (Beneficiary driven) निर्माण होगा । अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों जिसके पास वास की भूमि नहीं है उन्हें भू-अर्जन कर वास स्थल वंदोबस्त किया जायेगा । वास्तविक निर्माण प्रक्रिया में सभी वर्गों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा । सामाजिक एवं मानसिक समुत्थान के लिए, स्थानीय जानकारी एवं क्षमता के आधार पर कार्यक्रमों का आकार होगा । कौशल उन्नयन के लिए भी व्यवस्था की जायगी ।

(4) सामाजिक भागीदारी प्रणाली का तंत्र - औपचारिक/ अनौपचारिक तरीकों से ग्रामीण एवं नगरीय इलाकों में, पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में समाज की भागीदारी की आवश्यकता सरकार महसूस करती है । इस हेतु आवश्यक प्रोत्साहन निर्धारित ढाँचे के अनुरूप दिया जायेगा और उत्तरदायित्व एवं ईमानदारी से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(5) पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यक्रम का प्रचार - लोगों के हक एवं विभिन्न प्रकार की सहायता के संबंध में व्यापक प्रचार की

व्यवस्था सरकार द्वारा की जायगी । विशेष रूप से जोखिम प्रतिरोधी तकनीकी को अपनाने में तथा पुनर्वास योजना में सक्रिय योगदान देने के लिए समाज का सहयोग अत्यावश्यक है । अतः सरकार द्वारा विभिन्न स्तर के निर्वाचित सदस्यों, मिडिया, एकेडमियाँ (academia) को प्रचार से संबंधित सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जायगा ।

(6) सामाजिक विकास एवं महिला सशक्तिकरण— सरकार सामाजिक एवं सामुदायिक विकास को पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विन्दु मानती है । इस हेतु महिलाओं की भागीदारी एवं उनके सशक्तीकरण की आवश्यकता है।

(7) भवन निर्माण के लिए सहायता - कोसी आपदा से प्रभावित सभी वर्गों के लोगों को, क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण, नये विकसित भूकम्प तकनीकी के अनुरूप तथा आपदा प्रतिरोधी डिजाइन सहित निर्माण करने के लिए, सरकार विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगी और सहायता पैकेज/पैकेजों की भी घोषणा करेगी ।

(8) मेटेरियल बैंक - चूँकि तीन लाख से अधिक निजी मकानों, लोक संपत्तियों एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का पुनर्निर्माण किया जाना है अतः अधिक मात्रा में सिमेंट, छड़, ईट एवं अन्य निर्माण सामग्रियों की आवश्यकता होगी । सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पंचायत स्तर पर इन सामग्रियों की उपलब्धता हो, और स्थानीय

स्तर पर मुनाफाखोरी और शोषण की स्थिति उत्पन्न न हो । अधिक संख्या में कुशल कारीगरों को उपलब्ध कराने हेतु, उन्हें चिह्नित कर कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी है ।

(9) महिलाओं के हक की रक्षा - सरकारी सहायता से निर्मित होने वाले मकानों का निबंधन, पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम से हो, इसे सुनिश्चित कराया जायगा । विधवाओं के मामले में सरकार द्वारा भवन संबंधी सुविधाएँ सीधे उन्हीं को दी जायेंगी न कि और परिवार के किसी पुरुष सदस्य को ।

(10) नगरीय क्षेत्रीय पुनर्वास - नगर क्षेत्र में पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभान्वितों के हितों की रक्षा के साथ 'बिल्ड बेटर'('build better')के सिद्धान्त पर सभी सामूहिक सुविधाओं सहित निर्माण की योजना तैयार की जायगी । योजनाओं के कार्यान्वयन में स्थानीय निकायों की सहायता, स्थल चयन, निरीक्षण, अनुश्रवण आदि में ली जायगी । निजी मकानों के मामले में ग्रामीण इलाके में अपनाये जानेवाली पद्धति - यथा लाभार्थी प्रेरित (Beneficiary driven) निर्माण का अनुसरण किया जायेगा । उसी प्रकार सहायता सामग्रियों की गुणवत्ता के भी निदेशन, तकनीकी पर्यवेक्षण इत्यादि की व्यवस्था भी कराई जायगी ।

(11) आपदा प्रतिरोधी निर्माण तकनीकी - सरकार ने निर्णय लिया है कि सारे निजी एवं लोक भवनों का पुनर्निर्माण भूकम्प

प्रतिरोधी डिजाइन के आधार पर और भविष्य में बाढ़ का सामना करने के दृष्टिकोण से किया जायगा । इस हेतु आपदा प्रतिरोधी तकनीकी का उपयोग, आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण, retrofitting की कार्रवाई, और नयी निर्माण तकनीकी का प्रचार एवं सामग्रियों की व्यवस्था एक संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से किया जायगा। निर्माण के संबंध में आवश्यक निरीक्षण तथा गुणवत्ता का निरीक्षण भी समय-समय पर कराने की व्यवस्था की जायगी ।

(12) आजीविका-पुनर्जीवन के उपाय

i) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के जीवन का पुनरूद्धार एवं पुनर्जीवन, पुनर्वास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं । राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक योजनाओं को लागू किया जायेगा ताकि कारीगरों, उद्यमियों एवं स्वनियोजित व्यक्तियों को अधिकतम लाभ मिल सके । डेयरी, हैण्डीक्राफ्ट, हस्तकरघा एवं छोटे उद्योगों के पुनर्जीवन हेतु अधिकतम समर्थन दिया जायेगा । इस हेतु तैयार नीति में कार्यशील पूंजी एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण की व्यवस्था की जाएगी ।

ii) आजीविका पुनः प्रारंभ करने हेतु भारत सरकार एवं multilateral funding agencies से वित्त पोषण प्राप्त किया जायेगा। वाणिज्यिक बैंकों का सक्रिय योगदान भी योजना के कार्यक्रमों के लिए अति आवश्यक है । स्वयं सहायता समूहों एवं कारीगरों के

कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी । स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्हें संगठित कर आवास निर्माण कार्यों में लगाया जायेगा तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाअंतर्गत आच्छादित कर उन्नत आजीविका का लाभ पहुँचाया जायेगा ।

iii) अल्पकालीन सहायता

वित्तीय संस्थानों द्वारा उपभोग ऋण (consumption loan) और आपदा से पीड़ित ऋणियों के मामले में वर्तमान ऋण के conversion की व्यवस्था, बुनकर एवं आर्टिजनों के लिए सामग्री हेतु सहायता के अलावे वर्कशेड की व्यवस्था भी की जायेगी ।

iv) दीर्घकालीन योजना

डेयरी प्रक्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों एवं सहकारिता समितियों के गठन, chilling centres के निर्माण, डेयरी प्रोसेसिंग की व्यवस्था, आर्टिजन एवं बुनकरों के लिए हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट पार्क की स्थापना, विपणन की व्यवस्था हेतु विस्तृत योजना तैयार की जायेगी ।

(13) कृषि प्रक्षेत्र के पुनर्जीवन कार्यक्रम

कोसी आपदा से प्रभावित इलाके में गाद हटाने की कार्रवाई, इनपुट अनुदान, सीडलिंग की व्यवस्था इत्यादि तुरंत की जायेगी। दीर्घकालीन रणनीति के रूप में कोसी क्षेत्र के कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं यथा आई.सी.ए.आर. को अध्ययन

करने एवं विकास योजना तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा । क्षेत्रीय स्तर पर सहरसा में अवस्थित कृषि महाविद्यालय को सुदृढ़ किया जायेगा । इस क्षेत्र में मत्स्य पालन की संभावनाओं को देखते हुए इसे विकसित करने हेतु विशिष्ट योजना तैयार की जायेगी । कृषि क्षेत्र में संलग्न सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ किया जायेगा ।

(14) आधारभूत संरचनाएँ

आपदा से प्रभावित सभी क्षेत्रों में तुरत आवागमन पुनर्स्थापित करने के लिए पथों एवं पुलों की मरम्मत की जायेगी । आपदा प्रतिरोधी तकनीकी के अनुसार सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवन योजना के अनुरूप नये सड़कों के निर्माण, सिंचाई नहरों का पुनरुत्थान एवं मरम्मत करायी जायेगी । नये सिरे से ग्रामीण इलाके में करीब 2000 कि० मी० सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण तथा पुलों का निर्माण अगले 2-3 वर्षों में कराया जायेगा । उक्त कार्य में अभियंत्रण विभागों द्वारा बेहतर तथा तीव्रतर कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण व्यवस्था के लिए विभागों के क्षमता निर्माण एवं उन्नयन की योजना कार्यान्वित की जायेगी । ग्रामीण सड़कों का निर्माण अबाध रूप से चलता रहे इसके लिए बी०आर०आर०डी०ए० का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ।

(15) ऊर्जा

सरकार द्वारा सभी सब स्टेशनों और ऊर्जा प्रक्षेत्र से संबंधित लोक संपत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्जीवन कराया जायेगा ।

मध्यमकालीन उपाय के तौर पर सभी इक्विपमेंट्स, ट्रांसमिशन लाईन तथा ट्रांसफार्मर की बदली करायी जायेगी ताकि सिस्टम में सुधार लाया जा सके और सफल तरीके से कार्यरत हो । ये सभी कार्य अगले 3-4 वर्षों में पूरे किए जायेंगे ।

(16) लोक भवन

सरकार द्वारा सभी कार्यालयों एवं लोक भवनों यथा विद्यालय एवं अस्पताल की मरम्मती तथा आवश्यकतानुसार retrofitting करायी जायेगी ।

राज्य योजना/केन्द्रीय योजना/Multilateral funding agencies/ निजी क्षेत्र की सहायता से पंचायत भवनों, हाई राइज शेल्टर्स, cattle shelters इत्यादि का निर्माण किया जायेगा जिसमें आपदा प्रतिरोध तकनीक अपनायी जायेगी ।

(17) जलापूर्ति

ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति सिस्टम के पुनरूद्धार की कार्ययोजना तुरत ली जायेगी ताकि स्वस्थ एवं स्वच्छ जलापूर्ति, क्षेत्र में लोगों को मिल सके । मध्यमकालीन उपाय के रूप में नगरीय क्षेत्र में स्वच्छ जल आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी और क्षतिग्रस्त लोक संपत्तियों की मरम्मती (जैसे ट्यूबवेल, मोटर पम्प्स इत्यादि) की जायेगी

ग्रामीण स्तर पर पानी स्टोरेज की व्यवस्था, जलापूर्ति नेटवर्क की व्यवस्था, वृहत रूप में ग्रामीण एवं नगरीय इलाके में पाईप लाईन सिस्टम की स्थापना, पंपिंग एवं कैप्टिव पम्प्स जलापूर्ति सिस्टम की व्यवस्था अगले 2-3 साल में की जायेगी ।

(18) सामाजिक एवं सामुदायिक विकास

कोसी आपदा से प्रभावित क्षेत्र में सेवाओं तथा सामाजिक एवं सामुदायिक पूंजी के पुनर्निर्माण के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जायेगा। इन सभी कार्यक्रमों में फोकस, विशेष रूप से महिलाओं पर होगा और उनके सशक्तीकरण और जीविका के पुनरूद्धार को प्रभावी बनाया जायेगा ।

(19) स्वास्थ्य

स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सेवाओं को पुनः चालू कराया जाएगा । आपदा से पीड़ित अधिकतर लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर रूप से चालू रखने की आवश्यकता पड़ेगी । इसलिए इसे सुदृढ़ करने की भी आवश्यकता होगी । अल्पकालिक तौर पर स्वास्थ्य एवं सफाई, शिक्षा का प्रबंध, सामुदायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाएगी ताकि महामारी नहीं फैले । जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बेहतर सुविधायें लायी जायेंगी ताकि मरीजों की बढ़ती हुयी संख्या के अनुरूप व्यवस्थायें हों । विशेष रूप से जिला अस्पतालों में गहन चिकित्सा कक्षा की व्यवस्था,

नवजात शिशुओं के लिए गहन चिकित्सा कक्ष की व्यवस्था, Nutritional Rehabilitation Centre की व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जाँच की सुविधा उपलब्ध कराना आदि शामिल होगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत एवं नियमित टीकाकरण के तहत विशेष चक्र चलाने की आवश्यकता होगी। साथ ही deworming हेतु भी कार्रवाई की जायेगी। आंगनवाड़ी केन्द्रों को और सुदृढ़ किया जायेगा और नवजात शिशुओं एवं गर्भवती माताओं के टीकाकरण एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जायेगा।

(20) शिक्षा

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं को पुनः कार्यरत बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा। स्कूलों की मरम्मत, भवन के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी। तकनीकी संस्थानों जैसे आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक इत्यादि के भवनों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ताकि कौशल उन्नयन के कार्यक्रम इन केन्द्रों के द्वारा भी किया जा सके।

(21) पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता

कोसी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों एवं पुनर्वास एवं क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

(22) महिला सशक्तीकरण

प्रशिक्षण, शिक्षा एवं Income Generation कार्यकलापों के द्वारा महिलाओं की सशक्तिकरण योजना, पुनर्वास योजना के मुख्य उद्देश्य होंगे। हस्तकरघा एवं अन्य आर्थिक कार्यकलापों के कार्य के लिए विशेष रूप से महिलाओं को प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं समर्थन सरकार द्वारा किया जायगा । स्वयं सहायता समूहों के गठन और उनके माध्यम से बचत एवं ऋण की व्यवस्था इत्यादि पर योजनायें कार्यान्वित की जाएँगी। आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी एवं गैर सरकारी संस्थानों महिला सामख्या, महिला विकास निगम एवं अन्य ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक सेवाओं एवं केन्द्रों के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम चलाये जाएँगे ।

(23) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था

(क) कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण उच्चस्तरीय समिति

पुनर्निर्माण के लिए तैयार की गई कार्य योजना एवं अन्य नीतिगत निर्णयों की स्वीकृति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित 'कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण उच्चस्तरीय समिति' द्वारा दी जायगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री के अलावे निम्नांकित सदस्य भी होंगे :-

मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
मंत्री, कृषि विभाग
मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
मंत्री, नगर विकास विभाग
मंत्री, पंचायतीराज विभाग
मंत्री, उद्योग विभाग
मंत्री, स्वास्थ्य विभाग
मंत्री, शिक्षा विभाग
मंत्री, समाज कल्याण विभाग
मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग
मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
मंत्री, अल्पसंख्यक विभाग
मंत्री, पथ निर्माण विभाग
मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
मंत्री, योजना एवं विकास विभाग
मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग
मुख्य सचिव, बिहार
विकास आयुक्त, बिहार
प्रधान सचिव, वित्त विभाग

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग

- (ii) दो विशेषज्ञ, जिन्हें तकनीकी, भूकंप एवं निर्माण प्रक्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो ।
 - (iii) आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यगण ।
 - (iv) संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, आमंत्रित सदस्य होंगे ।
- प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

उपर्युक्त समिति द्वारा नीति निर्धारण तथा अंतर्विभागीय समन्वय के विन्दुओं पर मार्गदर्शन एवं समीक्षा के आधार पर आवश्यक योजना परिवर्तन इत्यादि का निदेश दिया जा सकेगा ।

(ख) योजना सूत्रण एवं संसाधन-

योजना का सूत्रण योजना एवं विकास विभाग द्वारा विकास आयुक्त के मार्गदर्शन में किया जायेगा । विभाग किसी वित्तीय वर्ष में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना के लिए विभिन्न स्रोतों से राशि की उपलब्धता का आकलन करेगा एवं उपलब्ध संसाधन के विरुद्ध विभिन्न प्रक्षेत्रों में योजनाओं के सूत्रण की कार्रवाई करेगा और उस पर उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

(ग) कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना प्राधिकृत समिति

कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की सभी योजनाओं की स्वीकृति नवगठित प्राधिकृत समिति द्वारा दी जाएगी । उक्त समिति में प्रधान

सचिव, वित्त विभाग/ अपर वित्त आयुक्त, प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग एवं प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास तथा संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव सदस्य होंगे । विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति को सहयोग के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकेगा ।

प्राधिकृत समिति की अनुशंसा के बाद विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरूप स्वीकृतिदेश निर्गत किया जाएगा । इस हद तक कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण संबंधी योजनाओं की स्वीकृति के लिए विभागों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन संशोधित माना जाएगा ।

संबंधित विभागों द्वारा अपने विभाग के बजट प्रावधान से या मुख्यमंत्री राहतकोष, बिहार फाउंडेशन से प्राप्त राशि से स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार संरचनाओं का सृजन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री राहतकोष या बिहार फाउंडेशन से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त राशि से, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, संबंधित विभाग द्वारा योजनाएँ कार्यान्वित की जा सकेंगी । परियोजना का कार्यान्वयन संबंधित विभागों की वर्तमान व्यवस्था से कराया जाएगा।

योजनाओं का मासिक अनुश्रवण उपर्युक्त गठित प्राधिकृत समिति द्वारा किया जायेगा ।

(घ) जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में 'कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना जिला अनुश्रवण समिति' का गठन किया जायेगा जिसमें संबंधित क्षेत्रीय सांसद, विधायक, पार्षद, मान्यता प्राप्त राजनीति दल के प्रतिनिधि, जिला परिषद् अध्यक्ष, नगर पार्षद के अध्यक्ष एवं संबंधित कार्यान्वयन विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त सदस्य रहेंगे । जिला पदाधिकारी इस समिति के संयोजक होंगे ।